1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0	––	145/2017
प्रविष्टि दिनांक	––	18.09.2017
निर्णय दिनांक	––	22.02.2021

उनवान

1. जोधराजसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
2. बालसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
3. भरतसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
4. हरिराजसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
6. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
7. चांदकंवर पुत्री श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
8. रतनकंवर पत्नि श्योसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक

– **वादीगण**

बनाम

1. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, नजरबाग रोड, टोंक।
2. तहसीलदार टोंक
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थित– श्री भरतसिंह नरूका – वकील वादीगण
श्री अर्जूनलाल मीणा – पैरोकार सरकार

निर्णय

दावा बाबत– घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि आराजी ख.न. 115 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का ताखोली में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 89/1, 90 है जिसमें वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा है, तथा खसरा नम्बर 133 व 133/140 वाके ग्राम सरदारपुरा जिसके साबिक खसरा नम्बर 92 है जिसका रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा है जिसमें वादीगण के पिता का 1/2 हिस्सा है, इस प्रकार वादीगण भी हिस्सा 1/2 के हकदार है तथा खसरा नम्बर 194 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 116 है वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का काबरा है, जिसमें वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण के पिता व पति स्व. श्योसिंह को अपने दत्तक पिता स्व. रतनसिंह पुत्र देवीसिंह से विरासत मेंप्राप्त हुईथी। क्योंकि रतनसिंह लाऔलाद फौत हुए थे। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जब सेटलमेनट अर्थात बन्दोबस्त सम्वत 2028 में सर्वे किया गया था उस बन्दोबसत मिसल में वादीगण के पिता वपति स्व0 श्योसिंह का नाम प्रत्येक खसरा में प्रतिवादी सं. 1 के विभागीय कर्मचारियों द्वारा गलत इन्द्राज किया गया है जिससे खाते का दुरूस्त करवाने की आवश्यकता हुई है। त्रुटि इस प्रकार है कि हाल खसरा नम्बर 115 में शोसिहं गलत अंकित किया गया है जबकि सही एंव वास्तविक नाम श्योसिंह है, तनसरदारपुरा खसरा नम्बर 115 में श्योसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

को विलोपित कर श्योरिंह पिसर मुतवन्ना(पि.मु.) रतनसिंह किया जाये। इसीप्रकार तन कल्याणपुरा खसरा नम्बर 194 में श्योरिंह पुत्र रतनसिंह अंकित है, जो गलत है क्योंकि श्योसिंह,रतनसिंह के दत्तक पुत्र थे, इसलिए पुत्र को विलोपित कर श्योरिंह पिसर मुतबन्ना(पि.मु.) रतनसिंह अंकित किया जाये। इसी प्रकार खसरा नम्बर 133 व 133/140 में शोभसिंह गलत अंकित किया है जबकि सही एंव वास्तविक नाम श्योसिंह है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 194 जिसमें वादीके दादा एंव ससुर का नाम खेतसिंह अंकित किया गया है, जबकि वादीगण के दादा एंव ससुर का सही एंव वास्तविक नाम रतनसिंह है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के कम्रचारियों द्वारा तीनों खसरा नम्बरान में अलग अलग त्रुटियां कर भारी भूल की हैजिसको वादीगण के लिए शुद्ध किया जाकर दुरुस्त किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस भांति प्रदान की जाकर प्रतिवादीगण को आदेश प्रदान किया जावे कि वे वादत्र के चरण नं. 1 में वर्णित भूमि के रिकार्ड को दुरूत कर तन सरदारपुरा खसरा नम्बर 115 में श्योसिहं पुत्र स्व0 रतनसिंह अंकित है, जो गलत है क्योंकि श्योसिंह रतनसिंह के दत्तकपुत्र थे, इसलिए पुत्र को विलोपित कर श्योसिंह पिसर मुतबन्ना(पि.मु.) रतनसिंह किया जाये। इसीप्रकार तन कल्याणपुरा खसरा नम्बर 194 में श्योसिंह पुत्र रतनसिंह अंकित है, जो गलत है क्योंकि श्योसिंह,रतनसिंह के दत्तक पुत्र थे, इसलिए पुत्र को विलोपित कर श्योसिहं पिसर मुतबन्ना(पि.मु.) रतनसिंह अंकित किया जाये। इसी प्रकार खसरा नम्बर 115 में गलत नाम शोसिह व खसरा नम्बर 133 व 133/140 में शोभसिंह गलत अंकित किया है जबकि सही एंव वास्तविक नाम श्योसिंह अंकित किया जावे । इसी प्रकार खसरा नम्बर 194 जिसमें वादीगण के दादा एंव ससुर का नाम खेतसिंह को विलोपित कर सही एंव वास्तविक नाम रतनसिंह अंकित किया जावे। वादीगण का विरासतीय नामांतकरा भरकर उन्हे खातेदार काश्तकार घोपित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की जावे।

वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को सावित करने के लिए दस्तावेजात– जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, मिसल बन्दोबस्त,पहचानपत्र, मृत्युप्रमपाण–पत्र मोका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 आदि पेश किये गये।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये पैरोकार सरकार जवाव दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्बर 115 में साविक रिकार्ड खातेदार श्योसिंह पि.मु. रतनसिह सा. निमोला के नाम व ग्राम कल्याणपुरा में श्योसिंह पुत्र रतनसिंह सा. निमोला खसरम्बर हॉल 194 में तथा सरदारपुरा में खसरा नम्बर 133, 133/140 में साविक रिकार्ड अनुसार श्योसिंह पि.मु. रतनसिंह सा. निमोला शुद्ध किये जाने की हद तक दावा स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी ने अपने पक्ष में साक्ष्य स्वरूप स्वंय का शपथ–पत्र के साथ–साथ स्वतन्त्र गवाह जगन्नाथपुरी, सौदान रैन, भरतसिंह के प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभिभाषक ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जिसका यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

वादी अपने वादपत्र के मध्यम से ग्राम सरदारपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 115 में श्योसिंह पुत्र रतनसिंह को विलोपित कर श्योसिंह पिसर मुतबन्ना(पि.मु.) रतनसिंह इसी प्रकार तन कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 194 में श्योसिंह पुत्र रतनसिंह को विलोपित

उपखण्ड ...िकारी
टोंक (...0)

कर श्योसिहं पिसर मुतबन्ना(पि.मु.) रतनसिंह अंकित किये जाने एंव इसी प्रकार खसरा नम्बर 133 व 133/140 में शोभसिंह के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम श्योसिंह अंकित करवाने तथा खसरा नम्बर 194 में खेतसिंह के स्थान पर सही एंव वास्तविक नाम रतनसिंह करवाना चाहता है। उक्त त्रुटि को प्रतिवादीगण ने भी ग्राम सरदारपुरा के खसरा नम्वर 115 में साबिक रिकार्ड खातेदार श्योसिंह पि.मु. रतनसिंह सा. निमोला के नाम व ग्राम कल्याणपुरा में श्योसिंह पुत्र रतनसिंह सा. निमोला खसरम्बर हॉल 194 में तथा सरदारपुरा में खसरा नम्बर 133, 133/140 में साविक रिकार्ड अनुसार श्योसिंह पि.मु. रतनसिंह सा. निमोला शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में नामों की त्रुटि दौराने सेटलमेन्ट हुयी है जो लिपिकीय त्रुटि होने से दुरूस्ती योग्य है।

आदेश

फलतः दावा वादी बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर ग्राम सरदारपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 115 में श्योसिंह पुत्र रतनसिंह के स्थान पर श्योसिंह पिसर मुतबन्ना(पि.मु.) रतनसिंह एंव तन कल्याणपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 194 में श्योसिंह पुत्र रतनसिंह के स्थान पर श्योसिहं पिसर मुतबन्ना(पि.मु.) रतनसिंह तथा खसरा नम्बर 133 व 133/140 में शोभसिंह के स्थान पर श्योसिंह अंकित करने तथा खसरा नम्बर 194 में खेतसिंह के स्थान पर रतनसिंह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार टोंक को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन कर दुरूस्ती की जावे। पत्रवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक २२/०२/२०२१ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(निल्या केo)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)